



## -:प्रेस नोट:-

दिनांक- 13.12.2024

### कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ ऑपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप अलग-अलग 03 मामलों में कुल 03 अभियुक्तों को कारावास व 10 हजार रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित ।

**विवरण**— पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में अलग-अलग 03 मामलों में कुल 03 अभियुक्तों को कारावास व 10 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

#### अभियोग-

1. थाना बिसण्डा पर पंजीकृत अभियोग- 248/12 धारा 468ए/323/306/504 भादवि के अभियुक्त मुन्ना पुत्र मातादीन प्रजापति निवासी बड़ागांव थाना बिसण्डा जनपद बांदा को **07 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।
2. थाना पैलानी पर पंजीकृत अभियोग- 04/18 धारा 354घ भादवि व 8 पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त चन्दु उर्फ चन्द्रप्रकाश पुत्र कल्लू प्रसाद निवासी निवाईच थाना पैलानी जनपद बांदा को **18 माह के कठोर कारावास व 3000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।
3. थाना बिसण्डा पर पंजीकृत अभियोग- 165/02 धारा 354/506 भादवि के अभियुक्त बूदा उर्फ गुलाब पुत्र गोधन कोरी निवासी गड़ाव थाना बिसण्डा जनपद बांदा को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व **2000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।